

अनुमति की शर्तें ।

- (i) एका भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामि स्वयं नहीं करती है ।
- (ii) भवन में प्रकार का विवाद (सांख्यिक, राजकीय, धर्मिक/सामाजिक या अन्य) होने की स्थिति में नियम का कोई उल्लंघन नहीं होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवश्यक नियम को पूर्णतः मान्य करने का ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य जाने पर स्वीकृत निर्माण की जा सकती है ।

एकल खिड़की केवल आवासीय

कार्यालय नगर निगम, जाधपुर

आवेदन क्रमांक 191 दिनांक 25/07/2019

पार्सी सुदेश बेराणा 516-37 परसाम 2 हीरो सुदेश

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की 10-37 सुदेश बेराणा

घाट 194 (7) (घ) के तहत आवश्यक

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर रवाना किया गया दिनांक 10/9/17 जमा

जरिगे रसीद संख्या 1028/SOUH, SOUS

दिनांक 25/03/2019 को जमा करा दी है ।

29/7

सहायक नगर निगम अधिकारी
नगर निगम, जाधपुर

परी +1

आवासीय

Received by
(Signature)

9252285886